अध्याय-II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक उत्पादन एवं बजटीय परिणाम

अध्याय-2

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक उत्पादन एवं बजटीय परिणाम

2.1 यह अध्याय कोयला मंत्रालय के गैर-योजनागत और योजनागत बजट से संबंधित है। बजट अनुमान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

तालिका- 2.1
सकल बजटीय सहायता तथा आईएंडईबीआर का ब्यौरा

क.	बजटीय सहायता/वसूली का ब्यौरा									(करोड़ रू. में)
	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	*2012-13 (बजट)*			*2012-13 (संशोधित)*			*2013-14 (बजट)*		
	राजस्व	*योजना*	*गैर-योजना*	*जोड़*	*योजना*	*गैर-योजना*	*जोड़*	*योजना*	*गैर-योजना*	*जोड़*
1	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	0.75	15.45	**16.20**	0.75	14.63	**15.38**	0.70	16.05	**16.75**
	श्रम और रोजगार									
	कोयला खान श्रमिक कल्याण									
2	कोयला खान पेंशन योजना / जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान	0.00	25.75	**25.75**	0.00	24.21	**24.21**	0.00	24.00	**24.00**
	कोयला और लिग्नाइट									
3	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	137.30	0.00	**137.30**	106.30	0.00	**106.30**	146.90	0.00	**146.90**
4	कोलफील्ड क्षेत्रों में यातायात आधारभूत संरचना का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	50.00	0.00	**50.00**	40.00	0.00	**40.00**	50.00	0.00	**50.00**
5	अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	11.40	0.00	**11.40**	11.40	0.00	**11.40**	11.65	0.00	**11.65**
6	क्षेत्रीय अन्वेषण	62.00	0.00	**62.00**	13.00	0.00	**13.00**	40.90	0.00	**40.90**
7	विस्तृत ड्रिलिंग	123.30	0.00	**123.30**	188.30	0.00	**188.30**	143.05	0.00	**143.05**
8	पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	9.00	0.00	**9.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.90	0.00	**0.90**
9	कोयला नियंत्रक	0.25	7.15	**7.40**	0.25	7.19	**7.44**	0.30	7.65	**7.95**
	जोड़-कोयला और लिग्नाइट	393.25	7.15	400.40	359.25	7.19	366.44	393.70	7.65	401.35
10	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एकमुश्त प्रावधान	25.00	0.00	**25.00**	25.00	0.00	**25.00**	24.00	0.00	**24.00**
11	टीएसपी के लिए एकमुश्त प्रावधान	31.00	0.00	**31.00**	31.00	0.00	**31.00**	31.60	0.00	**31.60**
	जोड़ (राजस्व)	**450.00**	**48.35**	**498.35**	**416.00**	**46.03**	**462.03**	**450.00**	**47.70**	**497.70**

	पूंजी									
	कोयलाधारी क्षेत्र अधिग्रहण निधि से कोयला धारी क्षेत्रों के अधिग्रहण पर किया गया व्यय अधिग्रहण निधि									
12	10.01 कोयलाधारी क्षेत्रों का अधिग्रहण	0.00	30.00	**30.00**	0.00	309.95	**309.95**	0.00	50.00	**50.00**
13	10.02 कोयलाधारी क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरे किये गये व्यय को घटाकर अधिग्रहण निधि	0.00	- 30.00	**- 30.00**	0.00	- 309.95	**- 309.95**	0.00	- 50.00	**- 50.00**
	कुल (पूंजी)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल (क)	**450.00**	**48.35**	**498.35**	**416.00**	**46.03**	**462.03**	**450.00**	**47.70**	**497.70**

ख. सरकारी उद्यमों में योजनागत निवेश उनकी आईईबीआर से जीबीएस के बिना

		ब0प्रा0 2011-12			*सं प्रा0 2012-13*			*ब0प्रा0 2013-14*		
		बजटीय सहायता	*आईई बीआर*	*जोड़*	*बजटीय सहायता*	*आईई बीआर*	*जोड़*	*बजटीय सहायता*	*आईई बीआर*	*जोड़*
	सरकारी उद्यमों में निवेश									
14	कोल इंडिया लिमिटेड	0.00	4275.00	4275.00+ # 5500.00	0.00	4100.00+ # 150.00	4100.00	0.00	5000.00	5000.00+# 4000.00
15	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	0.00	3220.33	3220.33	0.00	3220.33	3220.33	0.00	4000.00	4000.00
16	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (खान)	0.00	131.70	131.70	0.00	84.89	84.89	0.00	97.60	97.60
16.1	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत)	0.00	1555.75	1555.75	0.00	1697.37	1697.37	0.00	2206.61	2206.61
16.2	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (जोड़)	0.00	1687.45	1687.45	0.00	1782.26	1782.26	0.00	2304.21	2304.21
17	**जोड़ (कोयला और लिग्नाइट पर पीई में निवेश)**	0.00	7627.03	7627.03	0.00	7765.22	7765.22	0.00	9097.60	9097.60
18	**जोड़(विद्युत पर पीई में निवेश)**	.000	1555.75	1555.75	0.00	1697.37	1697.37	0.00	2206.61	2206.61
19	जोड़ (ख) (कोयला मंत्रालय) के सार्वजनिक उद्यमों में योजनागत निवेश)	0.00	9182.78	9182.78	0.00	9102.59	9102.59	0.00	11304.21	11304.21
20	**कुल - योजना परिव्यय (कोयला मंत्रालय) (क +ख)**	**450.00**	**9182.78**	**9632.78 +# 5500.00**	**416.00**	**9102.59**	**9518.59**	**450.00**	**11304.21**	**11754.21+ # 4000.00**

विदेश में कोयला संसाधनों के विकास एवं अर्जन के लिए तदर्थ प्रावधान।

2.2 47.70 करोड़ रू. के गैर-योजना बजट (2013-14) में मुख्य रूप से सचिवालय (आर्थिक सेवाएं), कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के तहत तैयार कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के तहत सांविधिक रूप से अपेक्षित सरकारी अंशदानों का भुगतान शामिल है। इसके अतिरिक्त, कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण के वास्ते मुआवजे के भुगतान हेतु 50.00 करोड़ रू. की राशि रखी गई है। तथापि, चूंकि अधिगृहीत भूमि सीआईएल की सहायक कम्पनियों की सम्पत्तियां हो जाती हैं, इसलिए सीआईएल भारत सरकार (कोयला मंत्रालय) के पास निधि जमा करती है और कोयला मंत्रालय सहायक कम्पनियों द्वारा भूवंचितों को इसे रिलीज करने के लिए सहायक कम्पनियों के माध्यम से मुआवजे की राशि जारी करती है। इस प्रकार से मुआवजे की इस रिलीज से सरकार से कोई नकदी निकासी नहीं होती है। गैर-योजना बजट को आपूर्ति उत्पादन से नहीं जोड़ा जा सकता है।

2.3 योजना परिव्यय (2013-14) में, (i) क्षेत्रीय अन्वेषण (40.90 करोड़ रू.), ईएमएससी (0.90 करोड़ रू.), अनुसंधान और विकास (एस. एण्ड टी.) (11.65 करोड़ रू.) और विस्तृत ड्रिलिंग (143.05 करोड़ रू.) कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा (146.90 करोड़ रू.) और कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास (50.00 करोड़ रू.) का प्रावधान किया गया है । सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 0.70 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है । विशेष रूप से डिजिटल इमेजिंग साल्यूशन्स की जरूरत को पूरा करने के लिए अधिक आई.टी. उपकरण मुहैया करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अधिकाधिक कार्य आई.टी. के माध्यम से हो। अधिक से अधिक आनलाईन कार्यात्मक वातावरण तैयार करने के लिए मंत्रालय की आई.टी. अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए भी बजट प्रावधान का उपयोग किया जाएगा। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए योजना प्रावधानों का 10% रखना अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि "कोयला खानों में संरक्षा और सुरक्षा" तथा "कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास " को इस अनिवार्य प्रावधान से छूट प्रदान की गई है। 24.00 करोड़ रू. की राशि, जो शेष योजनाओं के योजना परिव्यय का 10% है, को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए व्यय किए जाने हेतु निर्धारित निधि को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में रखा गया है। आदिवासी उपयोजना का भाग होने के लिए पहचान की गयी तीन स्कीमों नामत: क्षेत्रीय अन्वेषण, विस्तृत ड्रिलिंग और कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा के योजनागत परिव्यय का 8.2% होने के कारण 31.60 करोड़ रू. की राशि आदिवासी उप-योजना के लिए व्यय की जाने वाली अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार पृथक उप-शीर्षों के अंतर्गत रखी गयी है। गैर-योजनागत तथा योजनागत प्रावधानों के ब्यौर और इन आवंटनों के विरूद्ध सम्भावित परिणाम निधारित प्रपत्र में **अनुबंध** में दिए गए हैं।

अनुबंध (बिंदु सं.2.3 देखें)

कोयला मंत्रालय
विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए परिणामी बजट (2013-14)

(करोड़ रू. में)

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2013-14)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत	*सीईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	मंत्रालय की कार्य-प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करने के योजनागत प्रावधान है। गैर-योजनागत प्रावधान वेतन तथा भत्तों की अदायगी, कार्यालय खर्चों , चिकित्सा, यात्रा एवं प्रकाशन संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए है।	0.70	16.05	0.00	योजनागत प्रावधान का उद्देश्य - ई-शासन और आनलाइन कार्य-वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विशेष रूप से आईटी उपकरण मुहैया कराना। गैर - योजनागत प्रावधानों के लिए, वास्तविक परिणामों को प्रशासनिक प्रकृति के व्यय के कारण मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	मंत्रालय की आईटी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने से अधिक आनलाइन कार्य का वातावरण सृजित करने में सहायता मिलेगी।	-	
2.	सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आशिंक प्रतिपूर्ति सहित कोयला खान पेंशन योजना -1998 (सीएमपीएस-98)	सांविधिक अंशदान क) सीएमपी योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान हेतु 17.00 रू. का प्रावधान किया गया है ख) 7.00 रू. का प्रावघान सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु है।	0.00	24.00	0.00	सीएमपीएस-1998 के अधीन सरकार पर यह राशि सांविधिक देयता का घ क है, जो संग्रह का भाग होगा। इसके अलावा, सरकार के लिए सीएमपीएफओ के प्रशासनिक व्ययों के एक भाग को पूरा करना भी अपेक्षित है।	कर्मचारियो को साविधिक सुरक्षा लाभ।	सेवानिवृत्ति/सेवा से हटने के बाद लाभ देय है।	

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2013-14)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत	*सीईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	कोयला नियंत्रक का संगठन	योजनागत प्रावधान विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने हेतु विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने के लिए स्थापना लागत की पूर्ति हेतु गैर-योजनागत प्रावधान हैं।	0.30	7.65	0.00	व्यय प्रशासनिक प्रकृति का है तथा संगठन के विभिन्न कार्यों को निपटाने हेतु चल रही प्रक्रिया है।	कोलियरी की तरफ से कोयला प्रेषण पर उत्पाद शुल्क। वर्ष 2012-13 में वास्तविक संग्रह (दिसम्बर, 2012 तक) 405.14 करोड़ रूपये है। वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित संग्रह 550.14 करोड़ रूपये है। 195 कैप्टिव कोल ब्लॉक हेतु प्रगति की मानीटरिंग। लगभग 42 कोयला वाशरीज की मानीटरिंग डाटा संग्रहण तथा कोल डायरेक्टरी आफ इंडिया 2011-12, अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2012-13 तथा मासिक कोयला सांख्यिकी के प्रकाशन हेतु विश्लेषण। आंशिक सहायता हेतु विभिन्न कोयला कंपनियों के विभिन्न दावों एवं प्रस्तावों की जांच। विभिन्न कोयला कंपनियों से प्राप्त शुरूआती अनुमति। वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) में दी गई अनुमति 13 है। वर्ष 12-13 के लिए अनुमान 16 है। नियमित, सैम्पल चेक तथा कोयला, खान/सीमवार ग्रेड का	चालू प्रशासनिक व्यय	

							अनुमोदन जैसाकि संबंधित कोयला कंपनियों द्वारा घोषित है-वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित संख्या 1528 है। सीबी (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयला वाले भूमि के अधिग्रहण हेतु नोटिस के विरूद्ध भू-स्वामियों से प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई तथा अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत मंत्रालय को रिपोर्ट देना। वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) में भेजी गई रिपोर्टे-16 । वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित 20 है। दिसम्बर, 2012 तक प्राप्त सांविधिक शिकायत तथा गैर-सांविधिक शिकायत के विरूद्ध कोयला गुणवत्ता की जांच की संख्या 17 है। पूर्व-कोलियरी स्वामियों के बीच मुआवजे का भुगतान, वर्ष 12-13 में दिसम्बर, 2012 तक भुगतान आयुक्त द्वारा भुगतान की गई राशि 55.20 लाख रूपये है।		

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2013-14)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत	सीईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा	i) रेत भरायी ii) सुरक्षात्मक कार्य तथा iii) आर एंड आर कार्यों के लिए कोयला कंपनियों को आंशिक सहायता प्रदान करना	146.90	0.00	0.00	बहुमदों की राशि होने के कारण मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।	रेत भराई वृद्धित कोयला उत्पादन, तथा धंसाव, आग और कोयला निष्कर्षण में वृद्धि सुनिश्चित करती है।	अधिकाशंत चल रही परियोजनाएं, प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता अक्टूबर, 2012 से मार्च, 13 तक की अवधि के दौरान शुरू किये गए हैं।	
5.	कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	सड़क, रेल और अवसंरचनात्मक विकास के लिए कोयला कंपनियों को आंशिक सहायता प्रदान करना।	50.00	0.00	0.00	बहुमदों की राशि होने के कारण मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती है।	कोयले/रेत के परिवहन को सुविधाजनक बनाया गया	रेलवे परियोजनाओं को अग्रिमों के अलावा अधिकांशत: चल रही परियोजनाएं, प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता प्रस्तावित हैं।	

क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2013-14)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत	*सीईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम	प्रौद्योगिकीय/पद्धति का विकास और वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु उसका सफल अंतरण	11.65	0.00	0.00	1) 2013-14 के दौरान 19 परियोजनाएं चल रही होगी जिनमें से 03 (तीन) परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने की संभावना है। 2) वर्ष 2012-13 के दौरान चल रही 18 परियोजनाओं में से 03 (तीन) परियोजनाएं 31.12.2012 तक पूरी की जा चुकी है तथा 01 (क) और परियोजना मार्च, 2013 तक पूरी हो जाने की आशा है।	मुख्य संभावित निष्कर्ष - i) कार्बन डाइआक्साइड के सैक्वेस्ट्रेशन के लिए कोल बेड रिकवरी प्रक्रिया का विकास और ईष्टतमीकरण। ii) कोयला आधारित उद्योगों से उत्सर्जन-भावी मॉडल्स का विकास। iii) कम लागत की सामग्री का प्रयोग करते हुए भारतीय कोयला खानों में सृजित एसिड जल का शोधन।	कोयला उद्योग को अनुसंधान परियोजना सहायता तथा परियोजनाएं आमतौर पर 2 से 4 वर्ष की अवधि की हैं।	चूंकि परियोजनाओं में अनुसंधान कार्य शामिल है, अत: उनके निष्कर्षों का परियोजनाओं के सफलता पूर्वक पूरा हो जाने के बाद ही मूल्यांकन किया जा सकता है।

क्र स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2013-14)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजना गत	गैर - योजना गत	*सीईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण	राष्ट्रीय सूची में शामिल करने हेतु कोयला तथा लिग्नाइट के अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय ड्रिलिंग करना। वेब योग्य एकीकृत कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआरआईएस/ आईएलआरआईएस) तैयार करना और सीबीएम संसाधनों का मूल्यांकन करना।	40.90	0.00	0.00	1) **ड्रिलिंग**:- 1.53 लाख मीटर की ड्रिलिंग (कोयला-0.89, लिग्नाइट-0.64) चूंकि परिव्यय पर्याप्त नहीं है अतः उपलब्ध परिव्यय के अतिरिक्त सीआईएल से एक ब्रिजिंग ऋण लेने की आवश्यकता होगी। **ii) आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई:** 35 जोनों की भू-वैज्ञानिक माडलिंग/ जोन स्तर की योजना 35 जोनों के लिए उपलब्ध होगी।	1) **ड्रिलिंग:** - 1.53 लाख मीटर की ड्रिलिंग। 2) जीआर की तैयारी। **ii) आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई:** 35 जोनों का सम्पूर्ण डाटा आईसीआरआईएस डाटाबेस पर उपलब्ध होगा। **iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएल :** 6 जोनों का सम्पूर्ण डाटा आईसीआरआईएस डाटाबेस पर उपलब्ध होगा।. **iv) आईएलआरआईएस :** समग्र डाटा आईएलआरआईएस डाटाबेस पर उपलब्ध होगा	i) **ड्रिलिंग**-कुल ड्रिलिंग को वर्ष में वितरित कर दिया गया। ड्रिलिंग पूर्ण हो जाने तथा ब्लाक के गुणवता विश्लेषण के बाद जीआर तैयार की जाएगी। ii) **आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई:** मार्च,2014 तक जोनों का 35 भू-वैज्ञानिक माडल **iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएल :** मार्च,2014 तक जोनों का 6 भू-वैज्ञानिक माडल **iv) आईएलआरआईएस :** 142 ब्लॉकों की सूचना वेबसाइट (एकीकृत) पर डालना, 4 ब्लॉकों का जीपीएस सर्वेक्षण, खनन कंपनियों से खनन ब्यौरे का संग्रह। **v) सीबीएम**- 2013-14 में ड्रिल किये गये 12बीएच से मुख्य नमूनों का संग्रहण तथा सीबीएम घटक एवं अन्य मानदण्डों के निर्धारण के लिए डिजार्पसन अध्ययन।	1) ड्रिलिंगः लक्ष्य की प्राप्ति वन क्षेत्रों में अन्वेषण की समय पर अनुमति तथा ब्लाकों में लिग्नाइट होने पर निर्भर होती है। ii) **आईसीआरआईएस, सीएमपीडीआई:** मॉडल डाटा, नए हार्डवेयर और साफ्टवेयर स्थापित करने तथा प्रशिक्षण करने के अतिरिक्त नियमित डाटा का अद्यतन। **iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएलः** नए आंकड़ो सहित भविष्य में अपेक्षित आरडीबीएमएस का डिजाइन तथा वर्तमान डाटा का अद्यतन।

						iii) आईसीआरआईएस, एससीसीएल: 6 जोनों की भू-वैज्ञानिक माडलिंग/ जोन स्तर की योजना 6 जोनों के लिए उपलब्ध होगी। **iv) आईएलआरआईएस:** आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिग्नाइट ब्लॉकों का एकीकरण ओएसएम प्राप्त करना ब्लॉकों का जीपीएस सर्वेक्षण। 4) 12 बोरहोलों में सीबीएम अध्ययन।.	v)**सीबीएम** - 12 बीएच से नमूनों का संग्रहण तथा सीबीएम रिपोर्टों को तैयार करने हेतु विश्लेषण।	कोयला मंत्रालय तथा सीजीपीबी में आवधिक समीक्षाओं के दौरान प्रगति की निगरानी की जाती है।	iv) **आईएलआरआईएस :** एकीकरण हेतु निविदा प्रक्रिया का निष्पादन। एसओआई से ओएस मैप हासिल करना। जीपीएस सर्वेक्षण तथा खान डाटा संग्रहण हेतु फील्ड कार्य। v)**सीबीएम:** सीएमपीडीआई तथा जीएसआई, सीबीएम अध्ययन एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रमशः 8 एवं 4 बोरहोलों से नमूने एकत्र करेंगे।

क्र स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2013-14)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत	*सीईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	पर्यावरण उपाय और धंसाव नियंत्रण	1) आग तथा धंसाव से निपटना एवं बीसीसीएल में बेकार भूमि का पुनरूद्धार। 2)ईसीएल में गावों के नीचे अगम्भ जलमग्न गड्ढ़ों का स्थिरीकरण। 3)बीसीसीएल के सर्वाधिक खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों का स्थानान्तरण तथा ईसीएल के अस्थिर स्थानों का पुनर्स्थापन। 4)बीसीसीएल में रेलवे लाइनों तथा जोरो के संरक्षण के लिए आग से निपटना तथा आग और धंसाव का नियंत्रण।	0.90	0.00	0.00	1) आग तथा धंसाव से निपटने की दो योजनाएं और बीसीसीएल में बेकार भूमि के पुनरूद्धार की एक योजना। 2) बीसीसीएल में आग से निपटने के लिए तीन योजनाएं और एक योजना और ईसीएल में चार अस्थिर स्थानों के पुनर्स्थापन की एक योजना। 3) ईसीएल में जलमग्न के अगम्य गड्ढ़ों के स्थिरीकरण की नौ योजनाएं।	झरिया कोलफील्ड में आग तथा धंसाव नियंत्रण। बीसीसीएल के अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को स्थानान्तरित करने हेतु 4600 मकानों का निर्माण। रानीगंज कोलफील्डों में पुराने, परित्यक्त जलमग्न खदानों में धंसाव का नियंत्रण, झरिया कोलफील्ड में आग तथा धंसाव नियंत्रण और रानीगंज, झरिया, बोकारों, करनपुरा आदि जैसे पुराने कोलफील्डों में खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार।	मद सं.(i) में आग और धंसाव की एक योजना पूरी हो गयी है और 14.4.2010 को बंद कर दी गयी है। आग तथा धंसाव से निपटने की दूसरी योजना 2009-10 में पूरी हो गयी है। पूर्णता रिपोर्ट को 4.4.2009 को आयोजित बीसीसीएल बोर्ड की 363वीं बैठक में इसके द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। मद (i) की पुनरूद्धार की एक स्कीम जिसे 2008-09 में पूरा किया जाना था। भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रगति प्रभावित हुई। मद (ii) के अनुसार बीसीसीएल में एक स्कीम का पूर्णता कार्यक्रम मार्च, 2009 था किंतु वह अभी भी प्रगति पर है। इसे मास्टर प्लान में समन्वित कर दिया गया है। मद (iii) में एक स्कीम को 2008-09 में पूरा किया जाना था। यह स्कीम बंद होने के पक्रियाधीन है। मद सं.(iii) की दूसरी स्कीम भी बंद होने के प्रक्रियाधीन है। तीसरी स्कीम को भूमि विवाद के कारण 26.2.2010 को समय से पूर्व बंद कर दिया गया है। मास्टर प्लान कार्यकलापों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेन्सी एडीडीए ने आज की तारीख तक 43 स्थलों का जनांकिकी सर्वेक्षण पूरा कर लिया हैं। 4 स्थलों को गैर-आवास वाला पाया गया है; 5 स्थलों पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। एडीडीए ने मास्टर प्लान के अनुसार 2214 एकड़ में से 1300 एकड़ की अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ कर दी है। पुनर्स्थापन स्थल के विकास के लिए (i) आवास (ii) विस्थापन/स्थानान्तरण के कारण आय की हानि (iii) अवसंरचनात्मक लागत के लिए मुआवजा।	सरकार ने विभिन्न पर्यावरणीय उपायों तथा धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) योजनाओं के लिए पहले से स्वीकृत 116.23 करोड़ रू. सहित 9773.84 करोड़ रू.(झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) के लिए 7112.11 करोड़ रू. तथा रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए 2661.73 करोड़ रू. के अनुमानित पूंजी निवेश से 12.8.2009 को भारत कोकिंग कोल लि.(बीसीसीएल) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड लिं (ईसीएल) के लीज-होल्ड के अन्दर आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने और सतही अवसंरचना के परिवर्तन के मास्टर प्लान को अनुमोदित किया है। सभी ईएमएससी योजनाएं आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने और सतही अवसंरचना के मास्टन प्लान के भाग हैं।

क्र.स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2013-14)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत	*सीईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	गैर-सीआईएल ब्लाकों में विस्तृत अन्वेषण	क्षेत्रीय अन्वेषण के दौरान पता लगाए गए निर्दिष्ट/अनुमानित संसाधनों को सिद्व करने हेतु डाटा सृजित करने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग करना और भू-गर्भीय रिपोर्टों को तैयार करने में उसका उपयोग करना ताकि व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना रिपोर्टें तैयार हो सकें।	143.05	0.00	0.00	गैर-सीआईएल ब्लाकों में 4.50 लाख मीटर। चूंकि परिव्यय पर्याप्त नहीं है अतः उपलब्ध परिव्यय के अतिरिक्त सीआईएल से एक ब्रिजिंग ऋण लेने की आवश्यकता होगी।	1) 4.50 लाख मीटर 2) जीआर तैयार करना।	वर्ष में 4.50 लाख मीटर ड्रिलिंग को वितरित किया गया। ब्लाक में ड्रिलिंग तथा कोटिपरक विश्लेषण के पूर्ण हो जाने के बाद जीआर तैयार की जाएगी। कोयला मंत्रालय में आवधिक समीक्षाओं के दौरान प्रगति की मानिटरिंग की जाती है।	1)आउटसोर्सिंग के माध्यम से वास्तविक ड्रिलिंग निविदा एवं स्थानीय सहायता पर निर्भर करती है। 2)लक्ष्यों की उपलब्धि अधिकाशत: वन क्षेत्रों के अन्वेषण की अनुमति पर निर्भर होगी।
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	मंत्रालय का 10% बजट का खर्चा पूर्वान्तर क्षेत्र में सुनिश्चित करने हेतु।	24.00	0.00	0.00	मात्रा निर्धारित नहीं	ड्रिलिंग	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कोयला अन्वेषण	
11	टीएसपी के लिए एकमुश्त प्रावधान	मंत्रालय का 8.2% बजट व्यय टीएसपी के लिए सुनिश्चित करने हेतु	31.60	0.00	0.00	मात्रा निर्धारित नहीं	खानों की ड्रिलिंग और संरक्षण	आदिवासी क्षेत्रों में कोयला अन्वेषण और खानों का संरक्षण	
12.	कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान	भू-वंचितों को मुआवजे का भुगतान	0.00	50.00	0.00	कोयलाधारी क्षेत्रों (अधिग्रहण तथा विकास)अधिनियम,1957 के अधीन अधिग्रहित भूमि से कोयले का निष्कर्षण किया जाता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।	यह एक सांविधिक आवश्यकता है।	2013-14	सीआईएल द्वारा सरकार के पास अग्रिम रूप से राशि जमा करने के बाद भुगतान किया जाता है।

क्र.स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय (2013-14)			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजना	गरै-योजना	* सीईबीआर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	सार्वजनिक उद्यम में निवेश	सीआईएल- कोयले का उत्पादन 355.31 मिलियन टन एससीसीएल- कोयले का उत्पादन 42.65 मि.ट. एनएलसी लिग्नाइट का उत्पादन 20.92 मि.ट. और विद्युत- 16217.94 मि.यूनिट (एमयू) (ये सभी आंकड़े जनवरी, 2013 तक के हैं)	0.00	0.00	आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईईबीआर)- सीआईएल - 5000.00 करोड़ रू. एससीसीएल- 4000.00 करोड़ रू. एनएलसी 2304.21 करोड़ रू.	परियोजनाओं का कार्यान्वयन। कोयला, लिग्नाइट का उत्पादन, ओवरबर्डन रिमूवल और विद्युत उत्पादन।	कोयला उत्पादन 604.55 मि.ट., लिग्नाइट उत्पादन 25.20 मि.ट., तथा विद्युत उत्पादन 18929.00 मि.यूनिट का अनुमान लगाया गया है।	(क). पूर्ण हुई और चालू परियोजनाएं (1)लिग्नाइट उत्पादन (2) विद्युत उत्पादन (3) कोयला उत्पादन (4) ओवर बर्डन रिमूवल (5) प्रेषण (ख). स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट (पीआर) के अनुसार नयी परियोजनाओं का कार्यान्वयन तिमाही कार्य निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) के दौरान वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों और 100 करोड़ रू. से अधिक लागत की परियोजनाएं तिमाही आधार पर मानीटर की जा रही हैं।	औद्योगिक संबंध, कानून और व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी, खाली कराने की पद्धति, (रेलवे) आकस्मिक भूगर्भीय हलचल, खान दुर्घटनाएं और आपदाएं तथा उपकरणों की खरीद में विलम्ब।

- **सीईबीआर (पूरक बाह्य बजटीय संसाधन)**